

फार्म -7

(सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 2018 की धारा 16 देखें)
राष्ट्रीय लघु बचत योजना के तहत खाते को गिरवी रखने के लिए आवेदन

सेवा में,

पोस्टमास्टर/ प्रबंधक

.....

महोदय,

1. मेरे/ हमारे द्वारा (सरकार के राजपत्रित अधिकारी का शासकीय पदनाम या भारतीय रिज़र्व बैंक या अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, पंजीकृत सहकारी समिति, निगम, सरकारी कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण का नाम) के पास प्रतिभूति के रूप में रुपये की धन राशि जमा करवाना अपेक्षित है. अतः मैं/ हम _____ (अधिकारी का शासकीय पदनाम या शाखा का नाम आदि जिसमें खाता प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा रहा है) _____ के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में _____ (योजना का नाम) के तहत खाता सं. _____ में जमा राशि को अंतरित करने का अनुरोध करते हैं.
2. मैं/ हम सहमत हूँ/ हैं कि खाता(तों) को गिरवीदार द्वारा तब नकदीकृत कराया जा सकता है जब प्रतिभूति उन्मोचित कर दी गई हो. खाते में पंजीकरण सं. _____ द्वारा नामांकन निरस्त किया जाता है.

खाते का विवरण

खाता संख्या	तारीख	खाता कार्यालय का नाम	राशि

उपर्युक्त उल्लिखित प्राधिकारी गिरवी स्वीकृत करने के लिए सहमत है. गिरवीदार के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित गिरवी स्वीकृति संलग्न है.

दिनांक :

खाताधारक के हस्ताक्षर

पता

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

खाता संख्या _____ पंजीकरण संख्या _____ दिनांकित _____ द्वारा गिरवी रखा गया है और आवश्यक प्रविष्टियां रिकॉर्ड में चिह्नित की गई हैं. पासबुक/ जमा रसीद/ खाते का विवरण भी गिरवी के साथ चिह्नित किया गया है और खाताधारक को वापस कर दिया गया है.

पोस्ट मास्टर / मैनेजर का हस्ताक्षर
सील